डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत दिनॉक 23–09–2015 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का कार्यवृत्त

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत दिनॉक 23 सितम्बर, 2015 को मुख्य विकास अधिकारियों, अर्थ एवं जिला संख्या अधिकारियों, जिला पचांयत राज अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन अकेता होटल राजपुर रोड देहरादून में प्रातः 09:30 से आयोजित किया गया। कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

सर्वप्रथम सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन श्री विनोद फोनिया द्वारा कार्यशाला में सुश्री शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार के अन्य गणमान्य अधिकारियों/प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने स्वागत सम्बोधन में अवगत कराया गया कि 14 वित्त आयोग से पूर्व केन्दीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि की तुलना में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा लगभग चार गुना धनराशि का हस्तान्तरण किया गया है, जो प्रतिवर्ष क्रमशः बढ़ता जायेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी और राज्य सरकार की यही मंशा है कि इस निधि के उपयोग के लिये हर ग्राम पंचायत में पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाऐं तैयार की जाये ताकि बढ़ी हुई धनराशि का समुचित व सुनियोजित उपयोग सुनिश्चित हो सके। गॉवों के सुनियोजित विकास के सम्बन्ध में डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के विचारों से अभिभूत होकर राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में तैयार की गयी विकास योजनाओं को डॉ0 ए पी जे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना नाम दिया गया है।

तत्पश्चात योजना के उद्देश्य एवं महत्ता तथा कार्यशाला की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निदेशक, पंचायतीराज श्री हरबंस सिंह चुघ द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत दीर्घकालिक योजना निर्माण के उद्देश्य से ग्राम पंचायत द्वारा पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजाओं का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायतें खुली बैठकों में ड्राफ्ट तैयार करेंगी, जिसमें ग्राम के आय सृजन हेतु स्थायी प्रकार की परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टैज प्रबंधन, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट लाईट, कब्रिस्तानों, शमशान घाटों का रख–रखाव तथा राज्य सरकार/मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजना पर विचार किया जायेगा। ड्राफ्ट तैयार कराने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में एक राजपत्रित अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जायेगा। यह अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि विकास खण्ड स्तर पर तैनात कम से कम एक अधिकारी प्रत्येक ग्राम सभा की खुली बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग कर ग्राम पंचायत के ड्राफ्ट निर्माण में सहयोग देंगे तथा विकास खण्ड स्तर पर नामित राजपत्रित अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी स्वयं भी कम से कम 15–15 ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। योजनाओं के संचालन हेतु यथासम्भव लगभग 10 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर/समूह अथवा न्याय पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता समूह, जिसमें अध्यापक, ए एन एम/वी एच डब्ल्यू, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, वन रक्षक, पटवारी, सींचपाल, अवर अभियंता आदि से सहयोग लेकर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा। योजना के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन कर कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का गठन किया जायेगा।

उक्तानुसार मूलभूत जानकारियॉ देने के पश्चात जनपदों से उन्हें आ रही समस्याओं के विषय में पूछा गया। इस क्रम में–

- श्री कमलसिंह प्रधान टिहरी गढवाल, श्री गिरबीर परमार, प्रधान, उत्तरकाशी एवं श्री गिरधारी लाल, प्रधान, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पृच्छा की गयी है कि 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जो धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जा रही है वह जनसंख्या के आधार पर दी जा रही है चूंकि हमारी पर्वतीय जनसंख्या काफी कम है। अतः भी जनपदों के लिए एक न्यूनतम धनराशि निधारित होनी चाहिए ।

- श्री कमलसिंह प्रधान टिहरी गढवाल द्वारा पृच्छा की गयी कि क्या योजना के संचालन में ग्राम एवं विकास खण्ड स्तरीय रिसोर्स ग्रुप को प्रशिक्षित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर भी कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

- डॉ0 महेश कुमार, जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर द्वारा ड्राफ्ट प्लान हेतु तैयार किये गये टैम्पलेट के प्रारूप 4 के विषय में पृच्छा की गयी कि ग्राम की आवश्यकता निर्धारण में कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण कैसे किया जाय।

- श्री धनराज सिंह बंगारी, ग्राम प्रधान, रूद्रप्रयाग द्वारा कहा गया कि धनराशि कम होने पर मात्र सी0सी0 मार्ग ही बनते हैं। राजस्व प्राप्त करने लायक बडी सम्पत्तियाँ बनाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं मिलती।

- मो0जफर खान जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में प्रतिनिधि बदल जाते हैं, जिससे योजनाओं की प्राथमिकता भी बदल जाती है। ऐसे में वार्षिक व पंचवर्षीय योजना में बदलाव अवश्यभावी हो जायेंगे।

- जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि विभागों के आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा की कई–कई बैठकें आयोजित कर ली जाती हैं। उचित होगा कि विभागों के अनुरूप बैठकें न की जाये, बल्कि ग्राम सभा की बैठक के समय समस्त सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर एक ही बार में प्रस्ताव पारित कराये जायें। पंचायतों में संचालित ऑन लाईन सॉफ्टवेयर नेशनल असैट डायरेक्टरी में केवल पंचायतीराज विभाग के माध्यम से कराये जा रहे कार्य ही प्रदर्शित हो रहे हैं। उच्च स्तर से पत्राचार के माध्यम से सभी विभागों को नेशनल ऑसेट डायरेक्टरी में अपने कार्यों के अंकन हेतु विचार किया जाये।

  उक्त प्रश्नों के प्रतिउत्तर में विभागीय अधिकारियों द्वारा शंकाओं के समाधान स्वरूप निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया :

  - निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि यह निर्णय राज्य वित्त आयोग के निर्णयाधीन है। कार्यशाला के मैन्डेट में सम्मिलित नहीं है।

  - निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड स्तर पर भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

  - सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकता के आधार पर 5 वर्ष की योजना तैयार करे तथा उसी पंचवर्षीय योजना के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक योजनाओं में प्राथमिकता निर्धारण ग्राम सभा में किया जाये।

- संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिउत्तर में बताया गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण का सूत्र निर्धारण डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के विषय का नहीं है, बल्कि राज्य वित्त आयोग के निर्णयाधीन है।

- श्री जुगल किशोर तिवारी, यू.आई.आर.डी. द्वारा अवगत कराया गया कि जब टैम्पलेट के प्रारूप 2 के अनुसार सृजित सम्पत्तियों प्रदर्शित होंगी तो प्रतिनिधि, चाहे जो भी हों, उसे ध्यान में रखकर ही आगामी योजनाऐं बनायेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार द्वारा पुनः यह पूछे जाने पर कि भविष्य की योजनाऐं परिवर्तित हो सकती हैं या नहीं, पर श्रीमती मुरलीधरन,संयुक्त सचिव,भारत सरकार द्वारा विचार रखे गये कि प्रथम वर्ष में पंचवर्षीय योजना तो बनानी ही है। साथ ही प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना बनायी जायेगी। आपात स्थितियों अथवा सामान्य निर्वाचन उपरान्त नव गठित पंचायत में ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर वार्षिक योजनाओं में संशोधन किया जा सकता है।

उक्त प्रश्नोत्तर के पश्चात् श्रीमती मुरलीधरन, संयुक्त सचिव भारत सरकार द्वारा अपने सम्बोधन में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ड्रॉफ्ट प्लान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा गया कि पंचायतों को चाहिये कि वह ग्राम पंचायत की योजनाओं के निर्माण से पूर्व उपलब्ध साधनों, साधन प्राप्ति हेतु श्रोतों आदि के विषय में गहन विचार के उपरान्त अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करें। अपनी आवश्यकताऐं पहचानें, मानव विकास से सम्बन्धित मूलभूत पहलुओं यथा साक्षरता, पोषण, शिक्षा, आजीविका, गरीबी आदि को आधार बनाकर प्राथमिकताएं निर्धारित करें और तद्नुरूप विकास कार्य करायें।

उक्त सम्बोधन के पश्चात मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, श्री निहाल चंद जी हेतु आरक्षित समय के अनुरूप मंत्री महोदय तथा श्री गणेश जोशी, मा. विधायक, उत्तराखण्ड का उक्त कार्यशाला में आगमन हुआ। मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री जी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का औचारिक उद्घाटन किया गया। श्री विनोद फोनिया, सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, श्री हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव/निदेशक, पंचायतीराज, श्री डी० पी० देवराड़ी, संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज एवं श्री मनोज कुमार तिवारी, सहायक निदेशक, पंचायतीराज द्वारा मा० केन्द्रीय मंत्री जी, मा० विधायक, उत्तराखण्ड, एवं केन्द्र सरकार के अधिकारीगणों को बुके, शॉल एवं उत्तराखण्ड की संस्कृति के स्मृति चिन्ह रूप में पहाड़ी वास्कट भेंट स्वरूप प्रदान किया गया।

मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, श्री निहाल चंद जी द्वारा अपने सम्बोधन में ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु डॉ० ए पी जे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना को एक परिवर्तनकारी योजना बताते हुए कहा कि पंचायतों के विकास का उत्तरदायित्व हम सभी का है। विकास की योजनाऐं सही ढंग से क्रियान्वित हों, इसके के लिये हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु भी अपील की गयी। मा० मंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पूर्व से लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

मध्यान्ह भोजन उपरान्त डॉ० जॉय एलेमन, विशेषज्ञ, विकेन्द्रीकृत नियोजन द्वारा अपने व्याख्यान में किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न घटकों पर सविस्तार चर्चा की गयी :

1. जनजागरूकता हेतु वातावरण निर्माण
2. संसाधनों की उपलब्धता
3. आधारभूत सर्वेक्षण व सहभागी नियोजन के माध्यम से स्थिति विश्लेषण।

4. आवश्यकताओं का चिन्हींकरण, एकीकरण एवं प्राथमिकता का निर्धारण।

5. परियोजना निर्माण व ड्राफ्ट प्लान का निर्धारण।

डॉ0 जॉय एलेमन, विशेषज्ञ, विकेन्द्रीकृत नियोजन के उक्त व्याख्यान के पश्चात कार्यशाला के अन्त में सभी प्रतिभायिों द्वारा फीडबैक दिया गया, जिसमें जनपदीय एवं विकास खण्ड स्तरीय कार्यशालाओं के आयोजन, रिसोर्स ग्रुप के चयन, वातावरण निर्माण, टैम्पलेट के सम्बन्ध में सुझाव/पृच्छाऐं, आदि विषयों पर फीडबैक दिया गया।

तदुपरान्त अपरान्ह् 4 :30 बजे सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कार्यशाला के समापन किया गया।

उपरोक्त कार्यशाला के परिणाम स्वरूप विस्तृत गाईड लाईन एवं टेम्पलेट्स, जो एक आधार के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, संलग्न है।

संलग्न : यथोपरि।

(हरबंस सिंह चुघ)
निदेशक

निदेशालय पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या 1098/पं.-2/कार्यशाला/2015-16,
देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(डी0पी0 देवराड़ी)
संयुक्त निदेशक